परिशिष्ट "अ"

वि०स० तारांकित प्रश्न क्र० 2904
माननीय विधायक श्री सोहनलाल उपाध्याय
सदन में उत्तर देने की तिथि- 26/7/016

मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्र. एफ. सी-3-31-90-49-3 भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 1990

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय.—निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों का संविलियन।

उपर्युक्त विषय में कृपया इस विभाग से निर्गमित परिपत्र क्रमांक 730/1182/1(3)73 दिनांक 29 नवम्बर, 1973, क्रमांक 430-22-2-1(3)78 दिनांक 29 नवम्बर, 1978 एवं क्रमांक 261-1639-1-3-79, दिनांक 12 जून, 1980 (प्रतियां संलग्न) का अवलोकन करें जिनके द्वारा निर्वाचन कार्य के लिये नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों की सेवा तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुये इन कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य समाप्ति पर निकाले जाने के पश्चात् शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिये निर्धारित "बी" श्रेणी में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति के लिये विचार में लिये जाने के लिये निर्देशित किया गया था तथा यह भी कहा गया था कि नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश में इस बात का प्रमाणीकरण किया जायेगा कि शासन के उपर्युक्त प्राथमिकता संबंधी आदेशों का पालन किया गया है।

2. यह बात ध्यान में लाई गई है कि इन निर्देशों का यथोचित पालन नहीं हो रहा है। अतः पुनः आपका ध्यान इन सन्दर्भों की ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि इनका यथोचित पालन हो सकने की दिशा में पूर्ण प्रयास किया जाय।

हस्ता/-
(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

पृ. क्र. एफ. सी-3-31-90-49-3 भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 1990

प्रतिलिपि :—

(1) निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर,
लोकायुक्त, म. प्र., भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. ,इन्दौर,
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, म. प्र., भोपाल।

(R.M. Motani)
Under Secretary &
APIO GAD (P)

109

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 72/2184/1(3)81 भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 1982

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारियों का राज्य शासन की सेवा में संविलियन ।

---0---

प्रदेश में जनगणना 1981 के लिये नियुक्त कुछ अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएँ 28 फरवरी, 1982 को समाप्त हो रही है । शासन ने अतिशेष जनगणना कर्मचारियों का राज्य शासन की सेवा में रिक्त पदों पर निम्नलिखित अनुदेशों के अनुसार संविलयन करने का निर्णय लिया है :-

1- संविलयन के लिये इन्हें इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 206/39/1/3/72 दिनांक 14-4-72 में निर्धारित प्राथमिकता क्रम के क्रम बी-1 याने राज्य शासन के अतिशेष कर्मचारियों की श्रेणी में रखा जायेगा ।

2- वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1682 /4-ब-7/81 दिनांक 30-12-81 द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता के अन्तर्गत रिक्त पदों की भरती पर लगाये गये प्रतिबन्ध को इन अतिशेष कर्मचारियों के लिये भविष्य में होने वाली रिक्तियों के लिये शिथिल किया जायेगा । दूसरे शब्दों में जैसे - जैसे निम्न श्रेणी लिपिकों के पद रिक्त होंगे उन पदों पर इन अतिशेष कर्मचारियों को ऊपर बताये प्राथमिकता क्रम में संविलयित किया जायेगा ।

3- इनके संविलयन की शर्तें वही होंगी जो राज्य

--2--

सरकार के अतिशेष कर्मचारियों को लागू होती है । जनगणना कार्यालय के अतिशेष कर्मचारियों में काफी संख्या में ऐसे कर्मचारी होंगे, जिन्हें टायपिंग का ज्ञान न हो जो कि राज्य शासन के निम्न श्रेणी लिपिक के पदों के लिये अनिवार्य योग्यता है । ऐसे कर्मचारियों को तदर्थ रूप से नियत वेतन पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाये कि उन्हें अपनी प्रथम नियुक्ति के दो वर्ष के अन्दर मुद्रलेखन की परीक्षा पास करना पड़ेगी ।

4= विभिन्न विभागों के अन्तर्गत प्रदेश में कई निगम एवं अर्ध शासकीय प्रतिष्ठान कार्यरत है । इन निगमों एवं अर्ध शासकीय प्रतिष्ठानों में भी जनगणना के अतिशेष कर्मचारियों को भर्ती में प्राथमिकता देने के लिये इन निर्देशों के आधार पर संबंधित विभाग आवश्यक निर्देश जारी करें ।

27.2.82

(जी० एन० तिवारी)
विशेष सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

(G. M. Mulani,
Under Secretary &
APIO GAD (P)

------3